उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
संख्या-36/2015/1707/92-1-2015-147डब्लू/2014,
लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा श्री जीवन बाजपेई, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्ध बिना कोई प्रारम्भिक जॉच कराये अथवा उनसे कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये ही एवं श्री बाजपेई का कोई पक्ष सुने, वृहद दण्ड दिये जाने की संभावना के दृष्टिगत अपने कार्यालय आदेश संख्या-120/ग्रा0अ0वि0/अनु0कार्य0/वरि0सहा0/2014-15, दिनांक 10-11-2014 द्वारा श्री बाजपेई को निलम्बित करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय जॉच संस्थित किये जाने की अनियमितता की गयी।

2- उपर्युक्त अनियमितताओं के लिये श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-635/92-1-2015-147डब्लू/2014, दिनांक 03-3-2015 द्वारा उनका स्पष्टीकरण मॉगा गया।

3- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-3-2015 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का उत्तर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में शासन के पत्र दिनांक 01-4-2015 द्वारा उनको एक सप्ताह का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत स्पष्टीकरण का उत्तर उपलब्ध कराये जाने अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में निर्णय लिये जाने तथा इस पत्र को सम्बन्धित अपचारी कार्मिक को प्राप्त कराते हुए तामीली की सूचना तत्काल उपलब्ध कराये जाने का निर्देश निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को दिया गया।

4- उपरोक्त के अनुक्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंयत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 10-4-2015 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि 'श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद से मांगे गये स्पष्टीकरण विषयक शासन के उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-3-2015 निदेशालय के पत्र दिनांक 04-3-2015 द्वारा अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-फैजाबाद को ई-मेल/डाक के माध्यम से प्रेषित करते हुये पत्र की प्राप्ति रसीद प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी थी।

उपर्युक्त तथ्यों के साथ निदेशक एवं मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र दिनांक 10-4-2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्राप्ति रसीद संलग्न कर शासन को उपलब्ध कराया गया ।

5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता के उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र दिनांक 10-4-2015 में यह उल्लेख किया गया है कि स्पष्टीकरण विषयक शासन का पत्र दिनांक 03-3-2015 निदेशालय के पत्र दिनांक 04-3-2015 के साथ उन्हें दिनांक 03-4-2015 को प्राप्त हुआ है।

6- श्री एम0के0 श्रीवास्तव से मांगे गये स्पष्टीकरण विषयक शासन के आदेश दिनांक 03-3-2015 एवं इस संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के उपर्युक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पत्रों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि स्पष्टीकरण विषयक आदेश दिनांक 03-3-2015 निदेशालय के पत्र दिनांक 04-3-2015 के साथ संलग्न कर श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता परिमण्डल-फैजाबाद को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुये प्राप्ति रसीद मांगी गयी थी, परन्तु स्पष्टीकरण का उत्तर दिये जाने में श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा कोई रूचि नहीं ली गयी। शासन द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का उत्तर दिये जाने में अगम्भीरता के कारण ही श्री श्रीवास्तव द्वारा न तो स्पष्टीकरण का उत्तर दिया गया और न ही स्पष्टीकरण मांगे जाने विषयक आदेश की प्राप्ति रसीद ही तत्परतापूर्वक उपलब्ध करायी गयी, अपितु अपने पत्र दिनांक 10-4-2015 द्वारा शासन के आदेश दिनांक 03-3-2015 को दिनांक 03-4-2015 की तिथि में प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया और स्पष्टीकरण का उत्तर निर्धारित/नियत तिथि तक नहीं प्रस्तुत किया गया।

7- इस प्रकार शासन के आदेश दिनांक 03-3-2015 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने में कोई रूचि नहीं ली गयी है। अत: पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना उत्तर प्रस्तुत न किये जाने तथा प्रकरण रिट याचिका संख्या-6606(एस/एस) /2014 जीवन बाजपेई बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आच्छादित होने के दृष्टिगत प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री एम0के0 श्रीवास्तव द्वारा याची श्री जीवन बाजपेई, वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध बिना कोई प्रारम्भिक जॉच कराये अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये, याची का कोई पक्ष सुने वृहद दण्ड दिये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत निलम्बित करते हुये नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय जॉच व्यक्तिगत दुर्भावना के आधार पर संस्थित किया जाना पाया गया।

8- अतएव अपचारी अधिकारी श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को उपरोक्तानुसार की गयी अनियमितता के लिए उनको **'परिनिन्दा'** (Censure) का दण्ड प्रदत्त करते हुये उनके विरूद्ध प्रचलित विषयगत कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्रीराज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-36/2015/1707(1)/92-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- गार्ड फाइल/चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in